

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

.....श्री शशि कान्त..... बनाम.....श्री शशि कान्त..... किरम

किरम मुकदमा दावा धारा 53,188 आर.टी.ए. नं.....05.....सन् 2025

हुकम तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
05.03.2025	<p>वादी/वादीगण के अभिभाषक ने यह वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। प्रकरण दर्ज रजि० हो। प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजि० नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 01.04.2025 को पेश हो।</p> <p><i>शशि</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)</p>	
01/04/25	<p>पत्रावली पेश हुई। उक्त वादी उपर उक्त की तलवी हेतु रजि० नमबाना पत्रावली दिनांक 30.04.25 को पेश हो।</p> <p><i>शशि</i></p>	
30/4/25	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक <u>2/6/25</u> को पेश हो।</p>	
2/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। उक्त वादी उपर उक्त पत्रावली वही जोर तामील दिनांक 18/6/25 को पेश हो।</p> <p><i>शशि</i></p>	
17/06/2025	<p>पत्रावली पेश हुई आज वादी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा तलवी की गई। वादी उक्त प्रकरण को विही करना चाहता है। विही प्रार्थना पत्र का अथलोकन किया गया। वादी के प्रार्थना पत्र पर उक्त प्रकरण</p>	<p>समाप्त</p>

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न. 05/2021 रणमथ सिंह व नमन राव शक्ति वगैरे	नम अह हुक्म
	<p> को विद्वे किये जाने की अनुमति दी जाती है। परावली से की जा रही कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। परावली फैसला सुनार होकर नंबर ले कर होकर दाखिल दफतर हो </p> <p style="text-align: center;">  जयलज्ज अम्बिकारी जज (परवली) </p>	